

25/09/2025

प्राचीनगणो द्वारा मध्य अधीक्षक प्राचीन पत्र पेज  
 फर पत्रावली में आज तारीख पेजी पर  
 सुने जाने बाबत निवेदन किये जाने पर  
 पत्रावली आज तारीख पेजी पर ली गई।  
 प्राचीन पत्र के सम्बन्ध में मूल वाद  
 संख्या 124/2025 अन्तर्गत धारा 88, 188  
 RTA, 136 LR Act वादीगणों को नया दावा  
 पेश करने की अनुमति के साथ विट्रो में  
 स्वारिज हो चुका है। अतः पत्रावली में  
 कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।  
 पत्रावली को इसी स्तर पर स्वारिज किया  
 जाता है। उम्मानुसार पत्रावली दर्ज नम्बर  
 से कम होकर दारखिल दफ्तर हो

*[Handwritten signature]*



उपखण्ड अधिकारी, खतडी

पत्रावली  
 लक्ष्मीराम  
 जयसिंह  
 नैतराम  
 सुशेखर  
 पद्मानाथ  
 विष्णु